प्रैस विज्ञप्ति

दिनांकः 02.05.2019

स्वाट टीम व थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ के उपरान्त हत्या की घटना मे फरार/वांछित 25,000 रुपये का पुरूस्कार घोषित अपराधी मंसूर गाजी मय अवैध अस्लाह, कारतूस व एक स्कूटी सहित गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन एवं सहायक पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण मे दिनांक 01.05.2019 की रात्रि मे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री ध्रुव भूषण दुबे मय पुलिस टीम के देख-रेख शान्ति व्यवस्था तलाश वांछित अपराधी एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की अंसारी चौराहे पर चैकिंग कर रहे थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि आदिल हत्याकाण्ड का अभियुक्त स्कूटी से नीमखेडा की तरफ से बुलन्दशहर की ओर आना वाला है जिसके पास अवैध अस्लाह भी है तथा जिस पर 25000 रूपये का पुरूस्कार घोषित है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मय टीम के मामन चुंगी पर आए तो स्वाट टीम के कर्मचारी है0का0 असलम खान, है0का0 संजय यादव, का0 वसीम, का0 आकाश नेहरा व का0चालक मणिकान्त त्यागी मिले। दोनो पुलिस टीम संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए नीमखेडा की तरफ से आने वाले अभियुक्त का इंतजार करने लगे कि कुछ देर बाद नीमखेडा की तरफ से एक दोपहिया वाहन की लाइट आती दिखाई दी। पुलिस टीम द्वारा दोपहिया वाहन सवार को रूकने का इशारा किया तो उस पर सवार अभियुक्तो द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर एक अभियुक्त को अवैध अस्लाह, कारतूस व स्कूटी सहित समय रात्रि करीब 11.05 बजे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है तथा अभियुक्त के अन्य साथी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- मंसूर गाजी पुत्र हनीफ निवासी मौ0 मिर्ची टोला थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी का विवरण-

1- 01 तमंचा 12 बोर मय 03 जिन्दा व एक खोखा कारतूस

2- 01 स्कूटी नम्बर यूपी-13एएन-4748

उल्लेखनीय है कि दिनांक 02.04.19 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत काली नदी के पास से एक अज्ञात पुरूष (उम्र-28 वर्ष) का शव बरामद हुआ था जिसकी अज्ञात अभियुक्तो द्वारा गोली मारकर हत्या की गयी थी जिसकी शिनाख्त आदिल पुत्र मौ0 असलम निवासी मौ0 इस्लामाबाद थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर के रूप मे हुई थी। इस घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0-292/19 धारा 302,201,120बी भादवि पंजीकृत किया गया था। इस हत्याकाण्ड मे अभियुक्त मंसूर गाजी व उसकी पत्नी अलीसा सहित दो अन्य अभियुक्त शहजाद उर्फ सूखा निवासी मौ0 नरसलघाट थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर एवं शाहरूख पुत्र फरीद निवासी मौ0 इस्लामाबाद थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर के नाम प्रकाश मे आये थे। हत्याकाण्ड मे संलिप्त अभियुक्त शाहरूख व अलीसा को दिनांक 08.04.19 को गिरफ्तार जेल भेजा जा चुका है तथा अभियुक्त मंसूर गाजी लगातार फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा 25,000 रुपये का पुरुस्कार घोषित किया गया था। इसके अतिरिक्त मंसूर गाजी व शाहरूख उर्फ सूखा द्वारा दिनांक 29.04.19 को मौ0 साठा निवासी एक युवती के घर में घुसकर वादिया व वादिया की मां के साथ मारपीट कर छेडछाड व जान से मारने की धमकी की घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध मे थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0-353/19 धारा 452,323,504,354 भादवि पंजीकृत है, अभियुक्त मंसूर गाजी इस अभियोग में भी वांछित चल रहा था। उक्त दोनो घटनाओ मे अभियुक्त शहजाद उर्फ सूखा संलिप्त रहा है जिसकी भी गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास किए जा रहे है।

अभियुक्त मंसूर गाजी की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं-355/19 धारा 307 भादवि(पुलिस मुठभेड) व मु0अ0सं0-356/19 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री ध्रुव भूषण दुबे प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर
2. व0उ0नि0 श्री सत्यवीर सिंह, उ0नि0 संहसरपाल सिंह, उ0नि0 प्रमोद कुमार
3. का0 असलम, का0 संदीप राठी, का0 अशोक कुमार, का0 विशाल, का0चालक मुकेश कुमार।

स्वाट टीम (क्राईम ब्रांच)-

1- है0का0 असलम, है0का0 संजय यादव, का0 वसीम, का0 आकाश नेहरा, का0चालक मणिकान्त त्यागी।